

आगीचको फर्द अहकाम बनाम लिखनको

उपखण्ड अधिकारी
विशद नगर (जयपुर)

नाम न्यायालय
केस संख्या

78/8016

प्रसन्नका



आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

दि

93610

पत्रावली राजस्थान लोक उद्योग
स्थापना मण्डल द्वारा 1978-79 के
आरोप के तहत हुई उद्योग
पुनर्स्थापना के शुभ आभास
पत्रावली का अन्वेषण किया
गया। व्यापारिक डाटा प्रकाश
के दिनांक 18/6 को आरंभ
आवामी निषेधाज्ञा आदेश जारी
किया गया है। अतः उपपक्ष को
जो फैसला मूल न्याय आवामी
निषेधाज्ञा से प्राप्त किया
जाता है कि वे यदि जमान
619, 620, 621, 624, 782,
606, 605, 606, 618, 645,
783, 786 कुल मिलाकर कुल
रकम 1.55 लाख के आगे आरोप
तहसील विभाग की मौका पर
राजस्थान रिकार्ड की प्रकाशित
वर्णन रखे पत्रावली के अन्वेषण
शुभ होना दृष्टिगत रहा है।
अन्वेषण का ही निष्पत्ति आगे
गणना है आरंभ के पुनर्स्थापना

बनवारी का न्याय

बनवारी
पुनः उद्योग



न्यायाधीश-अधिकारी
राजस्थान सरकार
उपखण्ड-विशद नगर (जयपुर)